प्रकरण संख्या 3/2015
स्टेट बनाम कृष्ण लाल
धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

6/x/17

तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रवर्तन अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 28.08.2015 को दूरभाष पर चूनावढ़ कोठी में अवैध रूप से डीजल की बिक्री की सूचना मिलने पर जांच हेतु पहुंचा। वक्त जांच चूनावढ़ कोठी बस स्टैण्ड पर स्थित एक दुकान में 2 ड्रम रखे मिले। दुकान में दुकान मालिक कृष्णलाल पुत्र लालचंद जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 5 चूनावढ़ उपस्थित मिले। वक्त जांच कृष्ण लाल ने बताया कि ड्रमों में डीजल है। दुकान के निरीक्षण में एक नोट बुक रखी मिली। इस नोट बुक में डीजल बिक्री का हिसाब–किताब लिखा है। दुकान में रखे प्लास्टिक के ड्रम में नापने पर 130 लीटर डीजल होना पाया। इसके अलावा दुकान में एक हस्तचलित लोहे का पम्प, 3 नाप (5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर का एक–एक), एक लोहे की कीप व एक लोहे का ड्रम और रखा पाया। दुकान में रखे साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि दुकानदार द्वारा डीजल बिक्री का काम किया जा रहा है। दुकान से डीजल बिक्री से संबंधित कोई अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र मांगा तो ऐसा कोई कागजात उसके पास नहीं होना पाया। दुकानदार द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र के डीजल की अवैध बिक्री करना पाये जाने के कारण दुकान में रखा पाया गया। 130 लीटर डीजल मय ड्रम (एक प्लास्टिक, एक लोहा) व एक हस्तचलित लोहे का पम्प, 3 नाप (5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर का एक–एक) व एक लोहे की कीप जब्त कर श्री हीरालाल पुत्र श्री जोगेन्द्र पाल जाति ब्राहमण निवासी 7 जी सैकिण्ड चुनावढ़ कोठी की सुपुर्दगी में दिया व दुकान में पाई नोट बुक वजह सबूत स्वयं के कब्जे में ली। फर्द मौका/जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। जाचं से स्पष्ट है कि कृष्णलाल पुत्र लालचंद द्वारा बिना वैध कागजात के डीजल का विक्रय व भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडेक्स (लाईसेन्सिंग एवं कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के क्लॉज 3(1) की स्पष्ट अवहेलना की है। जब्त 130 लीटर डीजल मय 2 ड्रम (एक प्लास्टिक, एक लोहा) व एक हस्तचलित लोहे का पम्प, 3 नाप (5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर का एक–एक) व एक लोहे की कीप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सतीश गोसाईं एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व जवाब तथा साक्ष्य पेश किया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। विभागीय पैरोकार की बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर आधारित रही। सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उनके द्वारा पेश जवाब व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस समायत माना जावे प्रत्युतर में कथन है कि अप्रार्थी के नाम से डीजल बैरल प्वाइंट का अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ है जो निरस्त हो चुका है और वह सामान दुकान में पड़ा था परन्तु डीजल का बेचान नहीं किया जा रहा था। दुकान इसलिये खुली हुई थी कि कई काश्तकारों से बकाया वसूली आनी थी। अप्रार्थी के पास कृषि भूमि भी है, कृषि भूमि में खेती के उपयोग हेतु डीजल रखा हुआ था। कार्यवाही समाप्त की जावे व डीजल वापिस लौटाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कृष्णलाल पुत्र लालचंद द्वारा बिना वैध कागजात के डीजल का विक्रय व भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडेक्स (लाईसेन्सिंग एवं कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के क्लॉज

3(1) की स्पष्ट अवहेलना की है। 130 लीटर डीजल का भण्डारण बिना वैध अनुज्ञा पत्र अथवा अनुमति के भण्डारण नहीं किया जा सकता।

दुकान के निरीक्षण के दौरान एक नोट बुक मिली है इसमें डीजल बिक्री का हिसाब–किताब लिखा है। अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि रजिस्टर नोट बुक का संधारण क्यों किया जा रहा था जबकि अनुज्ञा पत्र खारिज था। यह तर्क भी माने जाने योग्य नही है कि दुकान इसलिये खुली थी चूँकि लोगों से पुरानी वसूली करनी थी। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये भी कोई गवाह पेश नहीं किया गया है न ही परीक्षित करवाया गया है। अप्रार्थी द्वारा कृषि कार्य हेतु डीजल कहां से कय किया उसके बिल भी पेश नहीं किये हैं।

अतः जब्त शुदा 130 लीटर डीजल मय 2 ड्रम (एक प्लास्टिक, एक लोहा) व एक हस्तचलित लोहे का पम्प, 3 नाप (5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर का एक–एक) व एक लोहे की कीप को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्री गंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्री गंगानगर।